24/10/19
17/12/19
Judl./Civi 11/2/
Part I-4
8/9/20
8/12/20
23/2/21
22/4/2
29/6/2
14/9/21
28/12/21
12/4/22
28/06/22

2019
00213

सरबरक

[कायदा 129]

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix 'B', Form No. 8]

1. नाम अदालत .... SDO बेरी ....

2. नियम मुकदमा .... 111, 128 CR Act ....

3. उनवान मुकदमा .... मिश्री गुर्जर बनाम बाबू गुर्जर वगैरह ....

4. नम्बर व सन् मुकदमा .... 159/19 ....

5. तारीख दायरा .... 3/9/19 ....

6. तारीख फैसला .... — फैसला 20-5-22 ....

7. तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना .... 24/10/19 ....

8. अपील या निगरानी की तारीख फैसला .... — ....

9. किस्म मिसल या हिस्सा .... प्रा० पत्र ....

10. किस्म रेकर्ड .... ग्राम - बेरकवाई ....

11. (अ) तारीख जिस पर की हिस्सा 'डी' तलफ करना हैं .... — ....

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:16:13 IST
Reason: SelfAttested

12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है ....

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया ....

13. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ करना हैं ....

(ब) तारीख जिस पर कि भाग 'बी' तलफ किया गया ....

14. (अ) तारीख जिस पर कि भाग 'ए' तलफ करना है ....

तारीख हुक्म 159 /2019	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/5/22	पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट **सरदारनगर** पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से **प्रार्थीगण** अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में **प्रार्थीगण** द्वारा ग्राम **बैसकलाई** जमाबंदी संवत् **2073 से 2076** तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से **पत्थरगढी / सीमांकन** से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान / पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। **प्रार्थीगण** के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2022.05.27 16:16:13 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 159 /2019 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1–2 मिश्री, देउ पिता अम्बा गुजर निवासी बेसकलाई
3– घीसी बेवा अम्बा गुजर निवासी बेसकलाई
4–7 भगवत, सांवरा, रामेश्वर, प्रहलाद पिता अम्बा गुजर निवासी बेसकलाई
8– बालु पिता उगमा गुजर निवासी बेसकलाई

––प्रार्थीगण

बनाम

1– बालु पिता उकार गुजर निवासी बेसकलाई 2– रामेश्वर पिता नन्दा गुजर निवासी बेसकलाई
3– सांवत खा पिता केसर खा कायमखानी निवासी बेसकलाई 4– कालु पिता धन्ना बलाई निवासी बेसकलाई
5– सांवत पिता लादु गुजर निवासी बेसकलाई 6– देबी पिता लाल गुजर निवासी बेसकलाई
7– सुखा पिता हरदेव गुजर निवासी बेसकलाई 8– देबी पिता भोजा गुजर निवासी बेसकलाई
9– भगवतलाल पिता अम्बा गुजर निवासी बेसकलाई 10– भीमराज पिता लादु गुजर निवासी बेसकलाई
11– हिन्दु पिता बगतावर गुजर निवासी बेसकलाई 12– रामा पिता उदा गुजर निवासी बेसकलाई
13– ईश्वर पिता लुम्बा गुजर निवासी बेसकलाई 14– सांवरा पिता मगुल गुजर निवासी बेसकलाई
15– गटटु पत्नी उदा गुजर निवासी बेसकलाइ 16– भागु पिता बिरम गुजर निवासी बेसकलाई
17– रामेश्वर पिता गंगाराम गुजर निवासी बेसकलाई 18– तहसीलदार शाहपुरा
19– बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बनेड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 20/05/2022

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **बेसकलाई** तहसील **बनेड़ा** जिला **भीलवाड़ा** में स्थित आराजी नम्बर **894 रकबा 12 बिस्वा, 1052 रकबा 04 बिस्वा 1053 रकबा 03 बिस्वा, 1063** रकबा 09 बिस्वा, **1068 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, 1076 रकबा 19 बिस्वा, 1080 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा,** 1102 रकबा 08 **बिस्वा, 1103 रकबा 11 बिस्वा, 1543 रकबा 17 बिस्वा, 1546 रकबा 15 बिस्वा,** 1580 रकबा 3 बिस्वा, 1 कुल **किता 20** रकबा **18 बीघा 07 बिस्वा** के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए **प्रार्थीगण** अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:16:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबंदी खाता संख्या 076 ग्राम बेसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 894 रकबा 12 बिस्वा, 1052 रकबा 04 बिस्वा 1053 रकबा 03 बिस्वा, 1063 रकबा 09 बिस्वा, 1068 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, 1076 रकबा 19 बिस्वा, 1080 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 1102 रकबा 08 बिस्वा, 1103 रकबा 11 बिस्वा, 1543 रकबा 17 बिस्वा, 1546 रकबा 15 बिस्वा, 1580 रकबा 3 बिस्वा, 1 कुल किता 20 रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर

संयुक्त खातदेारी खातेदार है। **प्रार्थीगण** अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः **प्रार्थीगण** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर **ग्राम बैसकलाई तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 894 रकबा 12 बिस्वा, 1052 रकबा 04 बिस्वा 1053 रकबा 03 बिस्वा, 1063 रकबा 09 बिस्वा, 1068** रकबा 02 **बीघा 12 बिस्वा, 1076 रकबा 19 बिस्वा, 1080 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 1102 रकबा 08 बिस्वा,** 1103 **रकबा 11 बिस्वा, 1543 रकबा 17 बिस्वा, 1546 रकबा 15 बिस्वा, 1580 रकबा 3 बिस्वा, 1 कुल** किता 20 **रकबा 18 बीघा 07 बिस्वा** भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** को 1900/– **रूपये** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकरान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक **सरदारनगर** जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक **20/05/2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय **सरदारनगर** पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर [illegible] आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी [illegible] जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.05.27 16:16:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा